न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 865/2017

1. कैलाश पुत्र छीतर
2. कमली देवी पत्नी छीतर
3. गुलाब
4. बोदी पुत्रियान छीतर
5. भौरिया पुत्र गोविन्दा
6. प्रभु पुत्र गोविन्दा
7. छोटया पुत्र गोविन्दा
8. बिरदा पुत्र गोविन्दा
9. हीरा देवी पत्नी सेडूराम
10. रेवडमल पुत्र छीतर मल
11. प्रभात पुत्र् छीतरमल
12. गोपाल पुत्र छीतरमल
13. छोटू पुत्र छीतर मल
14. कमली देवी पत्नी रामपाल
15. नाथूलाल पुत्र रामपाल
16. मुकेश पुत्र रामपाल नाबालिग संरक्षक माता कमली देवी
17. लेखराम पुत्र रामलाल नाबालिग सरंक्षक माता कमली देवी
18. दिनेश पुत्र रामलाल नाबालिग सरंक्षक माता कमली देवी
19. सुनीता पुत्री रामलाल नाबालिग संरक्षक माता कमली देवी
20. भौरीं लाल पुत्र नाथ्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

21. जगदीश पुत्र नाथ्या
22. नन्छी पत्नी रघुनाथ
23. राजू पुत्र रघुनाथ
24. सुखा पुत्र रघुनाथ
25. गुटटा पुत्री रघुनाथ
26. फूली पुत्री रघुनाथ
27. मनभरदेवी पुत्री रघुनाथ
28. रामसहाय पुत्र सोन्या
29. बिरदीचन्द्र पुत्र सोन्या
30. रामधन पुत्र घीस्या
31. घीसी पुत्री सोन्या
32. दाखा पुत्री सोन्या
33. तीजा पुत्री सोन्या
34. प्रेमदेवी पुत्री रामपाल

समस्त जाति मीणा, निवासीगण ग्राम गुनावता, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

बनाम

1. रामलाल पुत्र डूंगा जाति मीणा, निवासी ग्राम गुनावता, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक अधिकारी आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री डी0 डी0 शर्मा अपीलांट्स की ओर से।

2– श्री एन0 के0 यादव रेस्पोडेंट्स की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अपील सख्या–439 / 2017

1–कैलाश पुत्र छीतर

2–कमली देवी पत्नी छीतर

3–गुलाब
4–बोदी — पुत्रियान छीतर
5– बुगल

6–भौरिया
7– प्रभु — पुत्रान गोविन्दा
8–छोटया

9–बिरदा

10–हीरा देवी पत्नी गोविन्दा

11– जुगलकिशोर — पुत्रान् सेडूराम
12–नन्दकिशोर

13– रेवडमल
14 –प्रभात — पुत्रान् छीतरमल
15– गोपाल
16– छोटू

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

17– कमली देवी पत्नी रामलाल

18– नाथूलाल पुत्र रामपाल

19– मुकेश पुत्र रामपाल नाबालिग संरक्षक माता कमली देवी

20– लेखराम पुत्र रामलाल नाबालिग सरंक्षक माता कमली देवी

21– दिनेश पुत्र रामलाल नाबालिग सरंक्षक माता कमली देवी

22– सुनीता पुत्री रामलाल नाबालिग संरक्षक माता कमली देवी

23– भौरीं लाल
24– जगदीश नारायण — पुत्रान् नाथ्या

25–नन्छी पत्नी रघुनाथ

26–राजू पुत्र रघुनाथ

27–सुखा पुत्र रघुनाथ

28–गुटटा
29–फूली — पुत्रियान् रघुनाथ

30–मनभरी

31–रामसहाय — पुत्रान् सोन्या
32–बिरदीचन्द्र

33–रामधन पुत्र घीस्या

34–घीसी
35.–दाखा — पुत्रियान् सोन्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

36.–तीजा

37.–प्रेमदेवी पुत्री रामपाल

समस्त जाति मीणा, निवासीगण ग्राम गुनावता, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

——अपीलार्थीण/प्रतिवादीगण–

बनाम

4. रामलाल पुत्र डूंगा जाति मीणा, निवासी ग्राम गुनावता, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

———रेस्पोडेंट्स/वादी

5. तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. उप पंजीयक अधिकारी आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री डी0 डी0 शर्मा अपीलांट की ओर से।

2– श्री एन0 के0 यादव रेस्पोडेंट की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–29–11–2017

1– उक्त दोनों अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.टीनेन्सी एक्ट निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27–02–2015 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 19–05–2017 उपखण्ड अधिकारी आमेर जयुपर, जिसके द्वारा उन्होनें वादी का वाद डिक्री किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।उक्त दोनों आदेश एक ही प्रकरण में पारित होने के कारण दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट/वादी ने एक दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा बाबत् बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम गुनावता पटवार क्षेत्र लबाना तहसील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

आमेर जिला जयपुर में वादग्रस्त भूमि कुल किता 29 कुल रकबा 1.01 हैक्टैयर स्थित है। जिसमें वादी के 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के प्रतिवादी सं. 1 लगायत 37 खातेदार काश्तकार है जो वादग्रस्त भूमि है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी मनबट के आधार पर उक्त भूमि का मौखिक बंटवारा कर रखा है तथा अपने–अपने हिस्से में आई भूमि पर काबिज रहकर उपयोग उपभोग कर रहे है। पक्षकारान के मध्य विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। तथा प्रतिवादीगण बिना विधिवत बंटवारे कराये भूमि को हस्तान्तरित करने पर तथा निर्माण करने पर उतारू है दिनांक 16–7–2014 को प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण कार्य शुरू कर देने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है तथा वादी मौखिक रूप से आपसी सहमति से किये गये बंटवारें के आधार पर अथवा मीट्स एण्ड बाउण्डस के आाधार पर वादग्रस्त भूमि का बंटवारा कराने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 27–2–2015 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री तथा दिनांक 19–5–2017 को निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की जाकर वादी का वाद डिक्री कर वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया गया है। उक्त दोनों निर्णयों व डिक्री के विरूद्ध उक्त दोनों अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलांट्स द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27–2–2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री इस कदर जारी की थी कि तहसीलदार आमेर अपीलाधीन आराजी के समस्त हिस्सेदारों के हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस व विभाजन नियम 18 से 21 की पालना कर कुरेजात रिपोर्ट प्रेषित करें। उक्त आदेश की सही तौर पर पालना नहीं की गई है इसलिए यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीालार्थी व प्रत्यर्थी नं. 1 के अभिभाषकों द्वारा यह सहमति दी गई थी कि हिस्से अनुसार सह खातेदारों की कृषि भूमि का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

विभाजन मीटस एण्ड बाउण्डस व विभाजन नियमों के अनुसार किया जावे। परन्तु तहसीलदार आमेर द्वारा स्वयं मौके पर न जाकर पटवारी द्वारा तैयार कुरेजात पर काउण्टर हस्ताक्षकर कर रिपोर्ट भिजवाई गई है। पटवारी हल्का ने प्रत्यर्थी न. 1 से साज कर मौका स्थिति के विपरीत कुरेजात प्रस्ताव भिजवाये गये हैं। अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10–4–2017 को आगामी पेशी 18–5–2017 दी थी। उस दौरान दिनांक 11–4–2017 को कुरेजात तैयार होकर प्रस्तुत हुए जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं दी गई। दिनांक 18–5–2017 को सुनवाई न कर दिनांक 19–5–2017 को आगामी पेशी दी गई तथा 19–5–2017 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को बिना सूचित किए ही प्रत्यर्थी न. 1 रामलाल की सहमति से अवैधानिक तौर पर तैयार कुरेजात रिपोर्ट पर विचार किए बिना अंतिम डिक्री जारी कर दी गई। उक्त कारणों से अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय की अवहेलना में एक पक्षीय रूप से पारित होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलांटस को निर्णय की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा अंतिम डिक्री की अनुपालना किये जाने के समय हुई तथा जानकारी से अपील अंदर मियाद प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ प्रस्तुत की गई है। अपीलांटस द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 27–2–2015 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। इसी प्रकार निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 19–5–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में ही प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलांटस द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वाद पत्र में कहीं भी रास्ते का हवाला नहीं दिया गया था फिर भी प्रत्यर्थी द्वारा पटवारी से मिलीभगत कर अपने स्वयं के लिए अन्य खसरा नम्बर से रास्ता लिया गया है। अपीलार्थी/प्रतिवादीगण में से किसी भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

पक्षकार के सहमति के हस्ताक्षर नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 19–5–2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित किया जावे।

4– अपीलांटस द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 19–6–2017 को अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19–5–2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जिसे क्रम सं. 439/2017 पर दर्ज रजिस्टर किया गया है तत्पश्चात् दिनांक 19–9–2017 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27–2–2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जिसे क्र.स. 865/2017 पर दर्ज रजिस्टर किया गया है। रेस्पोडेंटस को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली तलब की गई। अपील संख्या 865/2017 को प्रार्थना पत्र धारा 5 व गुणावगुण पर एक साथ सुना गया तथा अपील संख्या 439/2017 को गुणावगुण पर सुना गया।

5– अधिवक्ता अपीलांट द्वारा लिखित एवं मौखिक बहस प्रस्तुत कर कथन किया गया कि पत्रावली को लोक अदालत में रखे जाने की कोई सूचना नहीं दी गई है सिर्फ वादी की सहमति के आधार पर अंतिम डिक्री पारित गई है। अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने का भी अवसर नहीं दिया गया है। कुर्रेजात रिपोर्ट बाला–बाला पटवारी द्वारा तैयार की गई है। तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गये है। कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन कर दिया गया है। सरस–नरस का भी ध्यान नहीं रखा गया है। खसरा नम्बर 1735, 1736 व 1752 में से अनुचित तौर पर रास्ता कायम किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अपील स्वीकार फरमाई जाकर रिमांड किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

6– अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा जवाब बहस में कथन किया गया कि प्राथमिक निर्णय व डिक्री सहमति के दिनांक 27–02–2015 को हुई है इसकी अपील मियाद बाहर तथा अंतिम निर्णय व डिक्री की अपील प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रस्तुत की गई है। अपील जानकारी के दिन से भी मियाद बाहर है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की अपील खारिज फरमाई जावे। अंतिम निर्णय व डिक्री की अपील में मीमों में लिए गए कथन तथा लिखित बहस में दिये गये आधार भिन्न थे। जबाव दावे में कब्जें संबंधी कोई कथन नहीं किया गया है तथा अपील मीमों में भी कहीं भी कब्जे संबंधी उल्लेख नहीं है मौके की कोई विधिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलाधीन आदेश द्वारा काश्तकारों की सुविधा के लिए आवश्यक होने पर रास्ता दिया गया है। तथा जिन खसरा नम्बर से रास्ता दिया गया है उन खातेदारों की कोई आपत्ति नहीं है अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है तथा सिर्फ हैरान परेशान करने की गरज से अपील प्रस्तुत की गई है। जो निरस्त योग्य है।

(7) उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलांटस द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है तथा धारा 5 के प्रार्थना पत्र में जो विलम्ब का कारण उल्लेखित किया है उसमें अंकित किया है कि दिनांक 19–05–2017 को प्रार्थीगण को बिना सूचित किये ही अंतिम डिक्री जारी कर दी गई तथा प्राथमिक डिक्री के तहत तैयार किये गये कुर्रेजात की जानकारी अंतिम डिक्री की अनुपालना के समय हल्का पटवारी से हुई है तथा जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य हास्यास्पद एवं लापरवाही युक्त है। अपील प्राथमिक डिक्री दिनांक 27–02–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है तथा प्रार्थना पत्र में समस्त तथ्य अंतिम डिक्री दिनांक 19–5–2017

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

के संबंध में वर्णित किये गये है। प्रार्थना पत्र में एक भी कारण अंकित नहीं किया गया है कि प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 27–02–2015 के विरूद्ध मियाद बाहर अपील प्रस्तुत करने के क्या कारण रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मात्र औपचरिकता पूरी करने तथा रिक्त स्थान की पूर्ति करने के उद्देश्य से ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह प्रार्थना पत्र किसी भी दृष्टि से स्वीकार योग्य नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 27–02–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के समस्त आधार उक्त निर्णय के पश्चात् की गई कार्यवाही को ध्यान में रखकर लिये गये हैं।इन आधारों में विभाजन के नियमो की पालना नहीं करना, तहसीलदार द्वारा स्वयं कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार नहीं करना, विभाजन मौका स्थिति के विपरीत करना, अपीलांट को कुर्रेजात पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जाना आदि अंकित किये गये हैं जो अंतिम निर्णय के विरूद्ध ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्राथमिक डिक्री पारित करने में क्या विधिक त्रुटि रही है उसके बारे में एक शब्द भी अपील मीमों मे वर्णित नहीं किया गया है।ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अपील मात्र खानापूर्ति के लिए प्रस्तुत की गई है।इस प्रकार प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 27–02–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने तथा मैरिट से हीन होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलांटस द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19–05–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में आधार लिये गये हैं कि राजस्थान सरकार का न्याय आपके द्वारा अभियान केवल लोक अदालत व आपसी समझाइश व राजीनामें हेतु चलाया गया है इसमें नियमित सुनवाई नहीं की जा सकती है। प्रकरण में प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु समय चाहा गया था किन्तु न्यायालय द्वारा जवाब का मौका दिये बिना तथा बहस सुने बिना अपनी तरफ से प्रकरण को विवादित कर निर्णय पारित कर दिया है। पटवारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

द्वारा जो कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गई है वह मौके पर नहीं की जाकर वादी से मिलीभगत कर फर्जी तरीके से तैयार की गई है। पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 18–05–2017 नियत थी जबकि वादीगण द्वारा मनमाने तरीके से स्वयं के हस्ताक्षर कर पत्रावली दिनांक 19–05–2017 को कैंप कोर्ट में रखवायी जाकर प्रकरण का अपने पक्ष में निस्तारण करवा लिया जबकि अपीलार्थीगण को जानकारी तक नहीं होने दी तथा न ही कोई नोटिस कैंप कोर्ट में उपस्थित होने बाबत् जारी किया गया है। वादीगण द्वारा पटवारी के मिलीभगत कर स्वयं के लिए अन्य खसरा नम्बर से रास्ता लिया गया है। उक्त आधारों पर अपीलार्थीगण द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने की दादरसी चाही गई है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेशिका दिनांक 19–05–2017 में अंकित किया गया है कि'' पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट, नांगल सुसावतान में पेश हुई वादी राम लाल उपस्थित है। तहसीलदार आमेर से कुर्रेजात रिपोर्ट पत्रांक /भू0 अ0/17/2112 दिनांक 11/04/2017 के द्वारा प्राप्त हो चुकी हैं शामिल पत्रावली रहे वादी कुर्रेजात से सहमत है। अतःवादी का वाद कुर्रेजात के रिपोर्ट के आधार पर डिक्री किया जाता है।'' इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दिनांक 19–05–2017 को ही कुर्रेजात पत्रावाली में शामिल हुए है तथा उक्त दिवस को वादी राम लाल ही कैम्प कोर्ट में उपस्थित था अन्य कोई पक्षकारान उपस्थित नहीं था। इसके विपरीत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विस्तृत निर्णय के पृष्ठ सख्या 03 में अंकित किया गया है कि '' प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार आमेर से विभाजन प्रस्ताव उनके पत्रांक/ भू0 अ0/17/2112 दिनांक 11/04/2017 के द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार विभाजन करने हेतु पक्षकारान सहमत हैं।'' अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

उपर्युक्त अंकन अपनी आदेशिका दिनांक 19–05–2017 के विपरीत किया गया हैं। वादी राम लाल के अलावा अन्य कोई पक्षकार उक्त दिवस को जब उपस्थित ही नहीं थें तो सहमति दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण/अपीलान्ट्स को कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। जो कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हुए है उनपर तहसीलदार द्वारा काउण्टर हस्ताक्षर किये गये है जिससे स्पष्ट है कि रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाई गई है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में कुल प्रतिवादीगण 37 हैं तथा समस्त ने यह अपील प्रस्तुत की हैं इसका आशय यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विभाजन से मात्र एक पक्षकार वादी राम लाल ही संतुष्ट है अन्य समस्त पक्षकारान असंतुष्ट हैं। विभाजन के वाद में प्रतिवादीगण की हैसियत भी वादी के समकक्ष ही होती हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व प्रतिवादीगण को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हैं तथा कुर्रेजात प्रस्ताव भी स्वयं तहसीलदार द्वारा पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार नहीं किये गये हैं एवं न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका के विपरीत टिप्पणी निर्णय में अंकित की गई है इन सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलाधीन अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19–05–2017 को पारित किये जाने में विधि की सारभूत त्रुटि कारित की गई हैं।उक्त निर्णय बहाल रखे जाने योग्य नहीं है।उपर्युक्त विवेचन से अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील विरूद्ध निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 27–02–2015 खारिज किये जाने योग्य है तथा विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 19–05–2017 स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

8– अतः अपील विरूद्ध निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 27–02–2015 अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं तथा अपील विरूद्ध निर्णय व अंतिम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

डिक्री दिनांक 19–05–2017 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि कुर्रेजात प्रस्तावों पर आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर तथा उभयपक्ष को सुना जाकर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे।निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावे।पत्रवाली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9–निर्णय आज दिनांक 29–11–2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर